(घ) क्या दफ्तरी के पद पर पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को चपरासी का काम करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में ब्यौरेवार जानकारी नीचे लिखे अनुसार है :—

विभिन्न अधिकारियों/ कार्यालयों के नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या
(1) संयुक्त निदेशक का कार्यालय नई दिल्ली।	2
(2) उपनिदेशक (उत्तर) का कार्यालय और उनके अधीनस्थ केन्द्र।	21
(3) उप निदेशक (दक्षिण) का कार्यालय और उनके अधीनस्थ केन्द्र।	14
(4) उपनिदेशक (पूर्व) का कार्यालय और उनके अधीनस्थ केन्द्र।	17
(5) उपनिदेशक (मध्य) का कार्यालय और उनके अधीनस्थ केन्द्र।	19
(6) उपनिदेशक (पश्चिम) का कार्यालय और उनके अधीनस्थ केन्द्र।	18

संयुक्त निदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय का एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संयुक्त सचिव (राजभाषा) के साथ कार्यरत है । व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था कई वर्षों से लागू है ।

(ख) 69 कर्मचारियों को ।

(ग) 2 कर्मचारी ।

(घ) और (ङ). चपरासी व दफ्तरी दोनों ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं । सन् 1978 तक सरकारी कार्यालयों में चपरासी के नए पद स्वीकृत किए जाने अथवा रिक्त पदों को भरे जाने पर प्रतिबंध था । तथापि, सरकार की यह नीति रही है कि चपरासी के पद से यथा संभव दफ्तरी के पद पर होने वाली पदोन्नतियां न रोकी जाएं । चपरासी के रिक्त पदों को भरे जाने पर प्रतिबंध होने के कारण कभी-कभी सरकारी कामकाज की सुगमता के लिए दफ्तरियों से चपरासी का काम लेना आवश्यक हो जाता है ।

Complaints of forced Conversions

9333. CH. HARI RAM MAKKASAR GODARA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints in regard to forced conversions of faith and religion in the cover of inducements and other allurements;

(b) if so, the number of complaints received and the places and persons from which they came;

(c) whether he is aware of the fact that crores of rupees are flowing in the country for the purpose; and

(d) if so, what steps are being taken to prevent these activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (d). Information is being collected and will be placed on the Table of the House when received.

सीमेंट के आयात के लिए दरें

9334. श्री गंगा भक्त सिंह : : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में कितनी मात्रा में सीमेंट खरीदा गया तथा किन दरों पर और किन देशों के साथ अनुबंध किए गए और किन दरों पर देश में सीमेंट का आयात किया गया;

(ख) क्या सीमेंट की खरीद और अनुबन्ध के लिए प्रस्ताव मिलने के बावजूद राज्य व्यापार निगम ने भारतीय और विदेशी एजेंटों के माध्यम से सीमेंट खरीदा है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में सीमेंट खरीदा गया तथा किन दरों पर और किन पार्टियों से खरीदा गया और किन तिथियों को खरीदा गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर खरीद के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 1978 में भारतीय राज्य व्यापार निगम ने 54.71 से 67.50 तक प्रति मी0 टन अमरीकी डालर (लागत तथा भाड़ा) की भिन्न-भिन्न दरों पर जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया तथा पोलैन्ड से 19.20 लाख मी० टन सीमेंट खरीदने के लिये संविदा की थी ।

(ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने सीमेंट का आयात किसी भारतीय अथवा विदेशी अभिकरण के माध्यम से न करके सीधे ही विदेशी संभरणकर्ताओं से किया है ।

(ग) सीमेंट क्रय, समिति, जिसमें सीमेंट नियंत्रक तथा उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय राज्य व्यापार निगम के वरिष्ट अधिकारी होते हैं, जब कभी कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, उस पर विचार करती है और सिफारिश करती है तथा उन के आधार पर भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा संविदा की जाती है ।

Fall in price of Various Varieties of Cotton

9335. SHRI R. MOHANARANGAM:
SHRI R. KOLANTHAIVELU:
SHRI C. N. VISVANATHAN:
SHRI C. VENUGOPAL:
SHRI K. MAYATHEVAR:
SHRI A. BALAPAJANOR:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state the extent of fall in price of various varieties of cotton during the last twelve months as compared to earlier years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): Month-end spot prices of a few important varieties of cotton during the last four years are given below. Variations in cotton prices during the last twelve months have been indicated in column 6.